बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

का0आ0सं0 :–3/अ0प्र0–1–119/2022 377 /पटना, दिनांक :– 8.2.24

श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल द्वारा बिना पूर्वानुमति के प्रायः मुख्यालय से अनुपस्थित रहने एवं विभागीय कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने के कारण योजनाओं की प्रगति बाधित होने से संबंधित मामले में जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–180–1/गो0 दिनांक–18.06.2021 द्वारा इनके विरूद्ध आरोप पत्र योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना सं0–2047 दिनांक–02.07.2021 द्वारा श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1) (क) के तहत निलंबित किया गया एवं अधिसूचना सं0–772 दिनांक–21.02.2022 द्वारा श्री सिंह, निलंबित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (i) एवं 14 (v) के तहत निंदन एवं संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धियों पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। साथ ही अधिसूचना सं0–1250 दिनांक–17.03.2022 द्वारा श्री सिंह को दिनांक–21.02.2022 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

3. योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–5003 दिनांक–15.11.2022 द्वारा श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल का पदस्थापन ग्रामीण कार्य विभाग होने के आलोक में इनके निलंबन अवधि दिनांक–02.07.2021 से 20.02.2022 तक का विनियमन करने हेतु विभाग को कागजात उपलब्ध कराया गया।

4. उक्त के आलोक में श्री सिंह के निलंबन अवधि के विनियमन के विचार हेतु श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के संबंध में लिये गये निर्णय से संबंधित कागजात की मांग विभागीय पत्रांक–1012 दिनांक–08.05.2023 द्वारा योजना एवं विकास विभाग से की गई। साथ ही विभागीय पत्रांक–1007 दिनांक–08.05.2023 द्वारा श्री सिंह को निलंबन अवधि का विनियमन के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

5. योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–2433 दिनांक–17.05.2023 द्वारा श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के अस्वीकृति के संबंध में लिए गए निर्णय की प्रति विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निदेश के बावजूद विभाग को अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा के निलंबन अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है:–

(i) निलंबन अवधि दिनांक–02.07.2021 से 20.02.2022 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जाएगी।

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–119/2022 377 /पटना, दिनांक :– 8.2.24

प्रतिलिपि :–महालेखाकर (ले० एवं ह०) वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, पटना निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–119/2022 377 /पटना, दिनांक :– 28.2.24

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०, कार्य अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल/आईटी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना एवं श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा, पत्राचार का पता:–ग्राम–बलसर, पो०–कालापहाड, तेन्दुआ, नबीनगर, औरंगाबाद, बिहार, पिनकोड–824123 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव